231/17 कानाराम बनाम सुरखाराम वगैरा

18.5.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन में आदर्श सेवा केन्द्र ग्रा.पं. रूणाया जाजली में पेश हुई। पक्षकारान को वास्ते लोक अदालत समझाइश बाद तामील प्राप्त हुई। और पूर्व में प्रार्थीगण की तामील दिनांक 16.1.18 को रजिस्टर्ड नोटिस से करवाई गई थी। लेकिन बावजूद सूचना अनुपस्थित है। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया और शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.6.18 पत्रावली तलब की गई। पत्रावली के संलग्न आदेश का अवलोकन करने पर पाया कि मानवीय भूल से आदेश दिनांक 16.5.18 का अंकन हो गया। जबकि वास्तविक आदेश दिनांक 18.5.18 है जो दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार आदेश दिनांक 16.5.18 पर लाल स्याही से गोल किया जाकर दिनांक 18.5.18 का इन्द्राज किया जावे।
पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

कार्यालय 3'

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र सणपा मानजी)
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.231/2017

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण:

1.मंगलाराम पुत्र मानाराम
2.पूनमाराम पुत्र मानाराम
3.बुधाराम पुत्र मानाराम
4.जमनादेवी पत्नि मानाराम
जाति जाट
निवासी सणपा मानजी भोमजी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:

1.पुरखाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी सणपा फांटा तहसील सिणधरी
2.दौलाराम पुत्र ईशराराम जाति जाट निवासी खरींगा कुआं,चवा तहसील सिणधरी
3.राहीगाराम पुत्र मोतीराम
4.हेमाराम पुत्र सोनाराम
5.केशाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी सणपा फांटा तहसील सिणधरी
6.डालूराम पुत्र सोनाराम
7.पेमाराम पुत्र सोनाराम
8.मानीदेवी पत्नि सोनाराम जाति जाट निवासी खरिंगा कुआं,चवा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
9.उदाराम पुत्र भैराराम
10.अर्जुनराम पुत्र भैराराम
11.लिखमाराम पुत्र भारमलराम
12.सोनाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सणपा फांटा तहसील सिणधरी
13.उम्मेदाराम पुत्र वगताराम
14.किरताराम पुत्र वगताराम
15.मोटाराम पुत्र कनाराम
16.पूनमाराम पुत्र कनाराम जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

निवासी सारणों का तला (होड़ू) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
17.डूंगराराम पुत्र चिमनाराम
18.केशाराम पुत्र चिमनाराम
19.पूनमाराम पुत्र सागतीराम जाति देवासी निवासी जोगासर (होड़ू) तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
20.कंवराराम पुत्र कलाराम
21.देवाराम पुत्र कलाराम
22.रामाराम पुत्र कलाराम
23.खेमाराम पुत्र जीवाराम जाति जाट निवासी सणपा फांटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री दुर्गाराम पूनिया,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी स.1 से 23 एकरतफा।

आदेश

दिनांक– 16.5.18
18.5.18

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70–04 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70–04 बीधा बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 16.1.2018 को जारी किये गये थे। जो तामीली श्रेणी में है,एवं विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70–04 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70–04 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70–04 बीधा भूमि का प्रार्थीगण रिकार्डेड सहखातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहता है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार क्षेत्र सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 165/463 रकबा 70-04 बीधा भूमि के सबंध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थी द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 18-05-18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।
18.5.18

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner